संख्या– पी: 98 (1)/14–2–2016–800 (39)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर 2016**

विषयः– एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या–999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–भा0स0–98/14–2–2016–800(39)/2016 दिनांक 06 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/06/32/2016/एफसी/61, दिनांक 28–4–2016 द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक शासन में उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2– अतः इस सम्बंध में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 06 मई, 2016 द्वारा 02 प्रतियों में वापस किये गये विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

BSingh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।